भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-42
उत्तर देने की तारीख-20/07/2026

समानता पर प्रभाव, कोचिंग पर निर्भरता और ई.डब्ल्यू.एस./ग्रामीण छात्र

†42. **एडवोकेट चन्द्र शेखर:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नीट-यूजी 2024 के लिए स्कूली पृष्ठभूमि (सरकारी स्कूल, निजी स्कूल, कोचिंग प्राप्त अभ्यर्थी) के आधार पर टॉपर्स और 600+ अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों और दर्ज की गई औसत कोचिंग फीस और उनके द्वारा चुनी गई शीर्ष कोचिंग श्रृंखलाओं का पृथक-पृथक आंकड़ा रखती है;
(ख) क्या सरकार ने इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई अध्ययन, आंतरिक विश्लेषण या सर्वेक्षण कराया है कि राष्ट्रीय एकल-खिड़की नीट प्रणाली ने सशुल्क कोचिंग पर निर्भरता बढ़ा दी है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और ग्रामीण छात्रों को बहुत अधिक नुकसान पहुँचाया है और यदि हां, तो इस संबंध में पूर्ण रिपोर्ट और नीतिगत प्रतिक्रियाएं
क्या हैं; और
(ग) ईडब्ल्यूएस/ग्रामीण छात्रों के लिए पहुंच में सुधार करने हेतु प्रश्न-पत्रों की अनिवार्य क्षेत्रीय-भाषा संपरीक्षा (प्रायोगिक समय-सीमा सहित), सरकारी कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों को बढ़ाने के लक्ष्य और समय-सीमा (प्रतिशत और पूर्ण संख्या में) तथा वंचित श्रेणियों के लिए परीक्षा शुल्क कम करने या माफ करने के प्रस्ताव सहित ठोस उपायों, समय-सीमाओं और जिम्मेदार मंत्रालयों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): नीट अभ्यर्थी आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत सूचना क्षेत्र के प्रकार के अनुसार दस्तावेजी साक्ष्य तथा स्व-प्रकटीकरण के आधार पर अपना व्यक्तिगत ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। अभ्यर्थी द्वारा भुगतान की गई कोचिंग शुल्क या कोचिंग श्रृंखला से संबंधित डेटा इस प्रक्रिया के भाग के रूप में एकत्र नहीं किया जाता है। अभ्यर्थी के अधिवास के आधार पर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र या उस राज्य से जहां से अभ्यर्थी ने अपनी बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण की है, से यह पता चलता है कि वर्ष 2022 से वर्ष 2025 तक ग्रामीण भागीदारी में लगातार सुधार हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों के पंजीकरण की संख्या वर्ष 2023 से शहरी क्षेत्रों के पंजीकरण से अधिक हो गई है।

उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने दिनांक 16.01.2024 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोचिंग सेंटर के विनियमन के लिए दिशानिर्देश जारी किए है। शिक्षा समवर्ती सूची में होने के कारण, उपयुक्त कानूनी ढांचे को अधिनियमित कर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। कोचिंग सेंटरों के विनियमन के लिए दिशा-निर्देश https://www.aicte.gov.in/sites/default/files/Guideliens_Coaching_Centres_Ministry%20of%20Education.pdf पर उपलब्ध हैं। हाल ही में, "कोचिंग सेंटरों पर छात्रों की निर्भरता को कम करने के उपायों" पर चर्चा करने के लिए दिनांक 04.07.2026 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्कूल शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभागों के अपर मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों के साथ एक राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से जेईई, नीट और विभिन्न राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग और अन्य परीक्षाओं जैसी प्रतियोगी शिक्षा में भाग लेने के इच्छुक प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए साथी (स्व-मूल्यांकन, परीक्षा और प्रवेश परीक्षा के लिए सहायता) पोर्टल शुरू किया है।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्तमान में अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए देश भर में 13 भाषाओं, अर्थात् अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में नीट (यूजी) आयोजित कर रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा अधिसूचित प्रचलित शुल्क संरचना के अनुसार सामान्य-ईडब्ल्यूएस/अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर-क्रीमी लेयर/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों/दिव्यांगजन/थर्ड जेंडर से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए रियायती परीक्षा शुल्क प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, नीट (यूजी) की पुन: परीक्षा 5,454 केंद्रों पर आयोजित की गई ताकि इसे ग्रामीण छात्रों के लिए और अधिक सुलभ बनाया जा सके।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफ़डब्ल्यू) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के अनुसार स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों (सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों की संख्या सहित) में प्रवेश को संचालित कर रहा है। दिनांक 24.09.2025 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,023 एमबीबीएस सीटें बढ़ाने के लिए मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के विस्तार को अनुमोदन दे दिया है।

*****